



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2015/ज्येष्ठ 22, 1937

No. 223]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2015/JYAISTHA 22, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2015

फा. सं. 1-10(6)/मानक/एसपी/(मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद)/एफएसएसआई-2013.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्ररूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

यदि इन प्रारूप विनियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव हों तो संबन्धित व्यक्ति अथवा संस्था अपने आक्षेप/ सुझाव साइंटिफिक साक्ष्य सहित उपरोक्त अवधि के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण को भेज सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के "फसली संदूषक और प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थ" से संबंधित विनियम में:--

(क) "प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थ" से संबंधित खंड (2) के पश्चात् उप विनियम 2.2.1 में निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"3. मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद में पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) और हाइड्रोकार्बन (पीएच) मिश्रण:

क्रम सं.	संदूषकों का नाम	खाद्य पदार्थ	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी28, पीसीबी52, पीसीबी101, पीसीबी138, पीसीबी153 और पीसीबी180)	अंतर्देशीय और प्रवासी मत्स्य	2.0 पीपीएम
2.	पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी28, पीसीबी52, पीसीबी101, पीसीबी138, पीसीबी153 और पीसीबी180)	समुद्री मत्स्य, क्रस्टाशिएन्स और मोलस्क	0.5 पीपीएम
3.	डेंजोपाइरेन	स्मोकड फिशरी प्रोडक्ट्स	5.0 पीपीबी."

3. "अवशिष्ट" से संबंधित विनियम 2.3 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"2.4. मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद में बायोटाक्सिन्स की सीमाएं :

क्रम सं.	संदूषकों का नाम	खाद्य पदार्थ	सीमा (यूजी/कि.ग्रा.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पैरालिटिक शैलफिश पॉइसन (पीएसपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	80 यूजी/100ग्राम (साक्सीटोक्सिन इकुयूवेलेंट)
2.	एमनिसिक शैलफिश पॉइसन (पीएसपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	20 यूजी/ग्रा. (डोमोइक एसिड इकुयूवेलेंट)
3.	डायरहेटिक शैलफिश पॉइसन (पीएसपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	160 यूजी ऑफ ओकेडायक एसिड इकुयूवेलेंट/कि.ग्रा.
4.	अज़ास्पीरासिड पॉइसन (एजेडपी)	बॉइवाल्व मोल्सक	160 यूजी ऑफ अज़ास्पीरासिड इकुयूवेलेंट/कि.ग्रा.
5.	ब्रीवटोक्सिन (बीटीएक्स)	बॉइवाल्व मोल्सक	200 माउस यूनिट और इकुयूवेलेंट/कि.ग्रा."

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन.-III/4/ असा./187-ओ /15 (104)]

टिप्पण - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012 तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

(Food Safety and Standards Authority of India)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2015

F.No.1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) of sub-section (2) of Section 92 read with section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, duly supported with scientific evidence, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 ;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

#### Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to "Crop contaminants and naturally occurring toxic substances":—

(a) in sub-regulation 2.2.1, after clause 2 relating to "Naturally Occurring Toxic Substances", the following clause shall be inserted, namely:-

"3. Polychlorinated biphenyls (PCBs) and Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in Fish and Fishery Products:

Sl.No. (1)	Name of the Contaminants (2)	Article of the food (3)	Limit (4)
1.	Polychlorinated biphenyls (Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180)	Inland and Migratory Fish	2.0 ppm
2.	Polychlorinated biphenyls (Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180)	Marine Fish, Crustaceans and molluscs	0.5 ppm
3.	Benzo(a)pyrene	Smoked Fishery Products	5.0 ppb.

3. After regulation 2.3 relating to "Residues", the following regulation shall be inserted namely:-

"2.4. Limits of biotoxins in fish and fishery products:

Sl. No. (1)	Name of the Contaminants (2)	Article of the food (3)	Limit (µg/kg) (4)
1.	Paralytic Shellfish Poison (PSP)	Bivalve Molluscs	80 µg/100g (Saxitoxin Equivalent)
2.	Amnesic Shellfish Poison (ASP)	Bivalve Molluscs	20 µg/g (Domoic acid equivalent)
3.	Diarrhetic shellfish Poison (DSP)	Bivalve Molluscs	160 µg of Okadaic acid equivalent/Kg
4.	Azaspiracid Poison (AZP)	Bivalve Molluscs	160 µg of azaspiracid equivalent/Kg
5.	Brevetoxin (BTX)	Bivalve Molluscs	200 mouse units or equivalent/Kg."

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/ Exty./187-O/15(104)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended vide F.No. 1-12/Sci.panel/ (Notification)/FSSAI/ 2012 dated the 3<sup>rd</sup> December, 2014